

पत्रावली पेश की। वकील कृषीलांत उपस्थित।
 कृषीलांत सं० 1, 2, 4 उपस्थित। रेशो सं० 1 के
 वकील उपस्थित। रेशो सं० 2 स्वयं उपस्थित।
 कृषीलांतगण एवं रेशो सं० 1 व 2 एक ही ब्रिजपिन
 के वंशज हैं और वादग्रस्त भूमि में हवा की
 पारिवारिक विवाद हैं, शेष कुछ कल खपने में सहभागी
 हैं हमारे सविता राम (कृषीलांत 1) के पुत्रों के मध्य
 उनके एक-दूसरे की और कलजे काश्र वाली भूमि
 तक ही विवाद सीमित है। प्रभावित एवं संबंधित
 उपपद पदकारने उपस्थित होकर कृषील को विक्री
 करने की कृषी पेश की जिस पर उपरोक्तानुसार
 पदकारों एवं उनके कान्तिवक्ताओं के ताईड स्वयं
 हाताक्ष/ कंगुल निशानात हैं। प्रथम-पत्र में
 विवेक किता गना है कि कृषीलांतगण व उपपदगण
 के मध्य समाज व गांव के मौजिज लोगों ने
 कान्ति सम्प्रदाय से राजीनामा करा दिया है
 जिस कारण कृषीलांतगण एक कृषील में आते
 कोई कार्यवाही अविषय में भी हमी कृषील के
 संबंध में कोई चाराजोरी/ इज्जती नहीं करना
 चाहते हैं तथा हमी स्तर पर विक्री करना
 चाहते हैं। हम कान्ति पर संबंधित/ उपरोक्तानुसार
 मेरे हाथ हाताक्ष एवं पदकारों की पहचान
 पश्चात संबंधित कान्तिवक्ताओं के तस्वीर करने
 हुए हाताक्ष किए हैं और कान्ति के हाथों
 पर भी हमी प्रमाण स्वयं हाताक्ष मौजूद हैं;
 उपपद की मंशानुसार कान्ति में राजीनामा हो
 जाने और अविषय में हमी कृषील के विषय का
 लेवा कोई इज्जती नहीं करने की शर्त पर कान्ति
 कृषीलांतगण स्वीकार किया जाता है तथा कृषील
 अरिपे विक्रीवत खारिज भी जारी हैं।

पत्रावली पेश शुजा लेकर नंबर
 से कर है, बाड तकमील दाखिल इफ्तार हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर



मर
 नि:शंकर (A4)
 नि:शंकर (A1)
 फाजिल
 वकील (कृषीलांत)
 नि:शंकर (R2)
 शंकर
 (कृषील रेशो 2)